1147

बिहार सरकार,
लघु जल संसाधन विभाग,
मुख्यालय, अनुश्रवण

संचिका संख्या–ल0सिं0मो0–नलकूप हस्तानांतरण–101/2018 1507 (मो0)/पटना, दिनांक– 08-12-18

प्रेषक,

के0 के0 पाठक,
प्रधान सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता
लघु सिंचाई प्रमंडल।

विषयः– **राजकीय नलकूपों के हस्तांतरण हेतु ग्राम पंचायत के मुखिया के साथ बैठक के सम्बन्ध में।**

महाशय,

विभाग के अन्तर्गत राजकीय नलकूपों का हस्तांतरण पंचायती राज व्यवस्था के अधीन करने का निर्णय प्रक्रियाधीन है। प्रथम चरण में बंद राजकीय नलकूपों का हस्तांतरण किया जाना है। इसके तहत सभी राजकीय नलकूपों का हस्तांतरण सम्बन्धित ग्राम पंचायत को किया जायगा। ग्राम पंचायत द्वारा ही नलकूपों की मरम्मति तथा संचालन किया जाएगा। बिजली विपत्र का भुगतान पंचायत द्वारा किया जायगा। बिजली की दर प्रति यूनिट 75 पैसे हो गयी है। इसलिए बिजली विपत्र की राशि प्रतिमाह 2000 रूपये से कम ही आयेगी जिसे वहन करने में पंचायत को दिक्कत नहीं होगी। पटवन की दर ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित की जायेगी तथा पटवन की राशि से नलकूप का संचालन किया जाएगा। नलकूप मरम्मति का खर्च विभाग द्वारा पंचायत को कार्यपालक अभियंता के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। विभागीय अभियंता द्वारा मात्र अनुश्रवण एवं तकनीकी पर्यवेक्षण किया जायगा। ग्राम पंचायत विभाग द्वारा तैयार किये गये संवेदकों के पैनल अथवा किसी भी संवेदक से मरम्मति का कार्य करा सकती है। इसकी ज़ानकारी सभी मुखिया को देने एवं इसके क्रियान्वयन एवं निधि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया से अवगत कराने हेतु यह आवश्यक है कि सभी कार्यपालक अभियंता अपने जिले के ग्राम पंचायत के मुखिया के साथ एक बैठक आयोजित करें।

अतः निदेश दिया जाता है कि सभी मुखिया के साथ बैठक आयोजित बैठक की जाय तथा इस बैठक में ही सभी पंचायतों का बैंक लेखा भी प्राप्त कर लिया जाय।

विश्वासभाजन

प्रधान सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांकः– 1507 (मो0) /पटना, दिनांकः– 08-12-18

प्रतिलिपि :– सभी अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई अंचल/सभी मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।